5/3/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अथवा वादीगण की ओर से कोई उप० नही है। न्यायालय परिसर के बाहर बार-बार आवाज लगवाई। बावजूद आवाज के कोई भी हाजिर नही आया। इससे प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति अरुचि है तथा वाद को चलाना नही चाहता। अतः वाद वास्ते अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाना उचित समझते है। वाद वास्ते खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक लालसोट